न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/91/2012 दायर दिनांक 05.06.2012

उनवान

1. नन्दकिशोर पिता बिहारीलाल जागा (भाण्ड) आयु वयस्क निवासी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

——प्रार्थी

बनाम

1. मु0 कमला देवी पत्नि शंकरलाल भाण्ड आयु वयस्क, निवासी सिंहपुर, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0

बाबत् अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः 08.09.2022

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा०टि0एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा छापरी तहसील कपासन में आराजी नम्बर 277, 278, 283, 284, कुल किता 4 कुल रकबा 0.79 है0 स्थित है जो वर्तमान में चालु राजस्व रेकार्ड में मु0 सोसर बेवा लालचन्द जागा के नाम पर दर्ज है जिसका दिनांक 11.05.2012 को देहान्त हो गया है उक्त आराजी मु0 सोसर को उसके पति लालचन्द की मृत्यु से विरासत से मिली इस प्रकार उक्त आराजी मौरूसी मिल्कियत की है।

यह कि प्रार्थी मृत्तक सोसर के पति लालचन्द के सगे भाई बिहारीलाल का लडका है। मु0 सोसर लाऔलाद फौत है व हिन्दू उत्तराधिकारी कानून 1956 से मृत्तका मु0 सोसर का एकमात्र वारीस प्रार्थी होता है जिससे प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजी का विरासत एवं वसीयत से एक मात्र वारीस प्रार्थी होता है जिससे प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजी का प्रार्थी खातेदारी काश्तकार व काबीज है इस बात की घोषणा कराने का प्रार्थी अधिकारी है।

यह कि विपक्षी का उक्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध नहीं है व मृत्तका मु0 सोसर की कानूनी वारीस भी नही है फिर भी राजस्व रेकार्ड उसके नाम दर्ज कराने व प्रार्थी के कब्जे में हस्तक्षेप पर उतारू है जबकि विरासत का नामान्तरकरण हिन्दु उत्तराधिकारी कानून के अनुसार सिर्फ प्रार्थी के नाम पर ही दर्ज होना चाहिए जिससे विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना चाहिऐ की प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात का राजस्व रेकार्ड स्वयं के नाम पर दर्ज नही करावे व प्रार्थी के कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप नहीं करे एवं न ही किसी से करावें।

यह की यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो विपक्षीया को कोई नुकसान नहीं है व जारी न किये जाने पर मुझ प्रार्थी को अपार क्षति है।

अन्त में प्रार्थना की कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे की प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात का नामान्तरकरण उसके नाम पर दर्ज नही करावे व प्रार्थी के कब्जे में कोई हस्तक्षेप किसी भी प्रकार से न तो स्वयं करे एवं न ही अपने किसी परिवारजन, नौकर ऐजेन्ट इत्यादि से ही करावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमनें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीया को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्द सिंह पंवार ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि

Signature Not Verified
Digitally Signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:29:56 IST
Reason: Certified

1. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित कारण सावक होने से अस्वीकार है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 2 में वर्णित आंशिक रूप से स्वीकार है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 3 में प्रार्थी का यह कहना गलत है कि मृत्तक सोसर के पति लालचन्द जागा के सगे भाई बिहारीलाल का लडका प्रार्थी होने से वह कानूनन

मृतका का उत्तराधिकारी हो। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उत्तराधिकारी दो प्रकार से होते है। निर्वसीयती एवं वसीयती। मृतक श्रीमति सोसर ने दिनांक 16.12.2011 को अप्रार्थीया के पक्ष में वसीयत निस्पादित की तथा गवाह देवीलाल पिता करणीदान जाति ढोली निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन, रामप्रसाद पिता शंकरलाल भाण्ड निवासी सिंहपुर के सामने अधिवक्ता श्री मांगीलाल बैरवा को अपनी ईच्छा अनुसार वसीयत तैयार करवाने को कहा। जिस पर मांगीलाल जी ने मृतक खातेदारी सोसरबाई के निर्देशानुसार वसीयत टाईप कराई तथा गवाह देवीलाल व रामप्रसाद के सामने अपने अंगूठे की निशानी वसीयत के हर पेज पर व अन्तिम पेज पर दो जगह की तथा उसी दिन वसीयत पंजीयन के लिए एस.आर. ऑफिस कपासन उप पंजीयक कपासन में प्रस्तुत की तथा उप पंजीयक कपासन द्वारा पूछताछ करने पर वसीयत का निष्पादन करना स्वीकार किया। जिससे उप पंजीयक कपासन ने वसीयत को पंजीकृत कर वापिस सोसर बाई को लौटा दिया। इस तरीके से विधि अनुसार वादग्रस्त भूमि के उत्तराधिकारी एवं आधिपत्यधारी एकमात्र अप्रार्थीया श्रीमति कमला देवी ही है मृतक खातेदारी श्रीमति सोसरबाई की अन्तिम वसीयत तारीख 16.12.2011 को ही है इसके अलावा कोई भी वसीयत प्रार्थी या अन्य किसी के पक्ष में नहीं की है। यदि प्रार्थी के पास कोई वसीयत है तो वह कूटरचित है।

इस तरीके से प्रार्थी का यह कहना गलत है कि वह प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात का खातेदारी काश्तकार हो व उसका कब्जा हो जिससे वह खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी हो।

4. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 4 में प्रार्थी का यह कहना गलत है कि उक्त आराजीयात से अप्रार्थीया का कोई सम्बन्ध नहीं हो। बल्कि अप्रार्थीया ही खातेदारी कृषक होकर आधिपत्यधारी है तथा प्रार्थी का यह कहना भी गलत है कि मृतक खातेदारी सोसर की कानूनन अप्रार्थीया वारिस नहीं हो। यहा यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 39 के अनुसार अप्रार्थीया ही विवादित भूमि की कानूनन उत्तराधिकारी है।

जहां प्रश्न राजस्व अभिलेख में ईन्द्राज का है उसके सन्दर्भ में अप्रार्थीया का यह कहना है कि अप्रार्थीया खातेदारी होने से सोसर के स्थान पर अपना नाम दर्ज कराने की अधिकारिणी है। प्रार्थी का यह कहना भी गलत है कि विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा हो और जिसमें अप्रार्थीया हस्तक्षेप करने पर उतारू हो। जबकि सही स्थिति इस प्रकार है कि विवादित भूमि पर अप्रार्थीया का ही कब्जा है तथा अप्रार्थीया ही एकमात्र उत्तराधिकारी है।

प्रार्थी का यह मानना गलत है कि वह विरासत का नामान्तरकरण हिन्दु उत्तराधिकारी कानून के अनुसार उसके नाम पर होना चाहिए तथा प्रार्थी का यह मानना भी गलत है कि मुझ अप्रार्थीया को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना चाहिए हो तथा यह मानना भी गलत है कि वह इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हो कि वादग्रस्त भूमि की अप्रार्थीया अपने नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं करावें व प्रार्थी के कब्जे में कोई हस्तक्षेप नहीं करें। बल्कि प्रार्थी को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक है कि वह अप्रार्थीया के द्वारा वादग्रस्त भूमि के उपयोग, उपभोग करने में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करें, न अन्य से करावे।

5. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 5 के अनुसार प्रार्थी का यह मानना गलत है कि यदि उसके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गयी तो उसे किसी प्रकार की क्षति होगी। इसके विपरीत यदि प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया तो प्रार्थी अप्रार्थीया के द्वारा की गयी काश्त को नुकसान पहुंचाकर आपराधिक बलबूते पर, जोर जबरन कब्जा करने का प्रयास करेगे, जिसमें पक्षकारान के मध्य मुकदमे की बाहुल्यता आयेगी तथा अप्रार्थीया को अपूर्ण क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन नगदी में नही किया जा सकेगा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. यह की प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 6 में वर्णित कथन सरासर गलत है। वास्तविकता तो यह है कि विवादित भूमि पर प्रार्थी का कभी [illegible] नहीं रहा है ना ही उसने कभी उक्त भूमि पर कभी खेती बाडी की है और न ही देखरेख [illegible] है। अप्रार्थीया का वर्षो से कब्जा हो, वो ही एक मात्र उक्त भूमि पर खेती बाडी कर रही है जिससे प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीया के पक्ष में ही है तथा प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीया के पक्ष में होने पर सुविधा संतुलन का बिन्दु भी अप्रार्थीया के पक्ष में ही है जिसमें अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी अप्रार्थीया के पक्ष में ही है। जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय रिलीफ प्रार्थना सिरे से अस्वीकार होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:29:56 IST
Reason: SelfAttested

7. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 7 में वर्णित कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

व प्रति प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीया की ओर से निम्न प्रति प्रार्थना पेश की कि राजस्व ग्राम छापरी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित आराजी संख्या 277, 278, 283, 284 कुल किता 4 कुल रकबा 0.79 है0 भूमि की अप्रार्थीया कानूनी खातेदारी कृषक है चुंकि अप्रार्थीया को मु0 सोसर ने जरिये रजिस्टर्ड तथा अन्तिम वसीयत के आधार पर उसे मालिक बना दिया है। यह कि कॉलम संख्या 1 में वर्णित जमीन स्वअर्जित भूमि है जिसमें मु0 सोसर को अप्रार्थीया के नाम रजिस्टर्ड वसीयत करने का एकमात्र अधिकार है। जिसके तहत ही मु0 सोसर ने स्वेच्छा से अप्रार्थीया के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत निस्पादित की।

यह कि उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई अधिकार एवं किसी तरीके से आधिपत्य नहीं है तथा अप्रार्थीया का एकान्तिक रूप से आधिपत्य है इसके उपरान्त भी प्रार्थी अप्रार्थीया के कब्जे काश्त में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करने का इरादा रखता है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक है कि वह अप्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करने पर किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं करें।

यह कि प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीया के पक्ष में है चूंकि अप्रार्थीया का उक्त विवादीत जमीन पर वर्षो से कब्जा है साथ ही वह रजिस्टर्ड एवं अन्तिम वसीयत के आधार पर उक्त विवादग्रस्त जमीन की मालिक बन चुकी है तथा उसका रेकार्ड में मात्र नाम दर्ज कराना ही शेष रहा है, यदि दौराने कार्यवाही प्रार्थी उक्त विवादीत जमीन को खुर्द बुर्द कर देता है या अन्य किसी को कोई लिखतम कर देता है या भूमि दलालों को विक्रय कर देता है या भूमि दलालों से मिलकर उक्त विवादीत जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो अशोधनीय क्षति अप्रार्थीया को ही होगी जिसका एवजाना नकदी मे नहीं आंका जा सकेगा तथा होने वाली क्षतिपूर्ति नकदी में नहीं आंकी जा सकेगी।, इसलिये उपरोक्त दोनो ही बिन्दु, प्रथम दृष्टया का मामला एवं अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीया के पक्ष में होने से सुविधा संतुलन का अन्तिम बिन्दु भी अप्रार्थीया के ही पक्ष में हैं इसके विपरीत प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं है चुंकि उसके पक्ष में कोई अन्तिम वसीयत निष्पादित नही की है साथ ही ना ही प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति होने की संभावना है, चुकि उक्त विवादीत जमीन पर प्रार्थी का कोई कब्जा वगैराह नहीं है ना ही वो खेती बाडी का कार्य कर रहा है। उपरोक्त दोनो ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से अन्तिम बिन्दु, सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।

अन्त में प्रार्थना की कि राजस्व ग्राम छापरी, तहसील कपासन में स्थित आराजी संख्या 277, 278, 283, 284 कुल किता 4 कुल रकबा 0.79 है0 भूमि बाबत् प्रार्थी द्वारा पेश शुदा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें तथा अप्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रति प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावें कि वह उक्त भूमि का अप्रार्थीया के द्वारा उपयोग उपभोग करने पर किसी प्रकार का कोई व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें, न ही अपने मित्र, परिजन, नौकर, एजेन्ट आदि से ही करावें, न उक्त विवादीत जमीन की लिखतम किसी अन्य को करावे तथ्यों के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत है।

उक्त अप्रार्थीया के क्रॉस प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया कि

1. यह कि क्रास प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1 का उत्तर इस प्रकार है कि आराजीयात लालचन्द की होना एवं लालचन्द जी की मृत्यु के बाद मु0 सोसरबाई के नाम पर इन्द्राज होना स्वीकार है इसी कारण उक्त आराजी मौरूसी है एवं वसीयत योग्य नहीं है मु0 सोसर ने विपक्षी कमला को न तो कोई वसीयत की एवं न ही उसे करने का ही अधिकार है इस प्रकार क्रोस प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित सारे तथ्य गलत होकर स्वीकार नहीं है।

2. यह कि क्रास प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 2 में वर्णित सारे तथ्य गलत है विरासत से प्रार्थी हकदार बनता है कब्जा भी प्रार्थी का है विपक्षी संख्या 1 किसी भी प्रकार से खातेदारी हक एवं अस्थाई निषेधाज्ञा पाने की अधिकारीणी नहीं है।

3. यह कि क्रास प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 3 गलत होकर स्वीकार नहीं है शेष प्रार्थना अंकित है जो विपक्षीया पाने की अधिकारी नहीं है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:29:56 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि क्रास प्रार्थना पत्र में बिनाय दावा एवं प्रार्थना पत्र अंकित नहीं है जिससे भी क्रास वाद एवं प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

5. यह कि क्रास वाद एवं प्रार्थना पत्र नियमानुसार नहीं है एवं आदेश 7 में वर्णित तथ्यों का समावेश भी क्रास वाद एवं प्रार्थना पत्र में नहीं है जिससे भी यह क्रास वाद एवं प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है।

6. यह कि क्रास वाद में वर्णित तथ्यों से ही विवादीत आराजीयात मु0 सोसर को विरासत से मिली है जिससे उसकी स्वअर्जित नही है जिससे उसे वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं है।

7. यह कि विपक्षीया वसीयत से स्वतः ही मालिक नहीं बनती है जबकि विरासत से प्रार्थी स्वतः ही मालिक बन गया है जिससे विवादीत आराजीयात पर कब्जा प्रार्थी का ही है विपक्षीया का कोई हक व अधिकार नहीं है।

8. यह कि क्रास प्रार्थना पत्र के जवाब की ताईद में शपथ पत्र भी पेश है।

अतः प्रार्थना है कि क्रास प्रार्थना पत्र खारीज फरमा हर्जा खर्चा दिलाया जावें।

अप्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मामले में दस्तावेज सूची संलग्न कर तहसीलदार कपासन की रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अंकित है कि प्रस्तुत मामले में दो वसीयत की गई है प्रथम वसीयत 03.05.2011 को नन्द किशोर के पक्ष में तथा द्वितीय वसीयत 16.12.2011 को कमलादेवी के पक्ष में की गई है। प्रथम वसीयत अनरजिस्टर्ड एवं द्वितीय वसीयत रजिस्टर्ड है। नियमानुसार अंतिम वसीयत ही मान्य होती है। अतः अन्तिम वसीयत ग्रहीता श्रीमति कमला की वसीयत रजिस्टर्ड होकर उसके आधार पर नामान्तरण दायर करें। ग्राम पंचायत से निर्णित करावें। हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस प्रार्थना पत्र व क्रॉस प्रार्थना पत्र पर सुनी। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र का अवलोकन किया। मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिये निम्न बिन्दुओ पर विवेचन आवश्यक है।

1. **प्रथम दृष्ट्या मामला–** हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2064–67 में खाता संख्या 292 की आराजी संख्या 277, 278, 283, 284 कुल किता 4 कुल रकबा 0.78 है0 मृत्तक सोसर बेवा लालचन्द जागा सा0 देह खातेदारी के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी द्वारा उक्त सम्पत्ति मौरूसी बताकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि अप्रार्थी द्वारा दिनांक 16.12.2011 की अन्तिम वसीयत के आधार पर क्रॉस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी है। परन्तु अन्तिम वसीयत अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पर होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

2. **सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति–** मृत्तका की आराजी संख्या 277, 278, 283, 284 कुल किता 4 कुल रकबा 0.78 है0 में प्रार्थी द्वारा प्रार्थी के कब्जे में कोई हस्तक्षेप किसी भी प्रकार से अप्रार्थी द्वारा नहीं किये जाने बाबत निवेदन किया है। उक्त आराजीयात वर्तमान में मृत्तका के नाम दर्ज रेकार्ड है। अतः सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होती है।

अतः प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा सन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से साथ ही क्रॉस प्रार्थना पत्र में मूल प्रार्थना पत्र के अप्रार्थी व क्रॉस प्रार्थना पत्र के प्रार्थी द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबन्द कराये जाने का निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में मूल प्रार्थना पत्र के प्रार्थी द्वारा मूल प्रार्थना पत्र के अप्रार्थीया को उपयोग उपभोग करने में न तो स्वयं व्यवधान उत्पन्न करें न ही किसी नौकर एजेण्ट से कराये जाने का निवेदन किया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में संलग्न जमाबन्दी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त विवादीत आराजीयात वर्तमान में मृत्तका सोसरदेवी के नाम दर्ज रेकार्ड है। अतः चाही गयी मौका सम्बन्धी अस्थाई निषेधाज्ञा क्रॉस वाद के [illegible] है। अतः प्रार्थना पत्र एवं क्रॉस प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प[illegible]ला [illegible]सल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:29:56 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official